न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 117/2022

1. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खाजूवाला जरिये शाखा प्रबन्धक प्रदीप तिवाडी

.....वादी

बनाम

1. मूमलदेवी
2. प्रेम
3. राधादेवी
4. रामचन्द्र

पत्नी/पिसरान धूडाराम जाति राईका निवासीगण अमरपुरा तहः व जिला बीकानेर हाल आबाद चक 3 केवाईडी ए तहः खाजूवाला

5. सुवटी
6. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट एवं धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–19.12.2022

यह वादी का वादपत्र न्यायालय हाजा प्रस्तुत हुआ। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि वादी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खाजूवाला का शाखा प्रबन्धक है तथा शाखा प्रबन्धक की हैसियत से वादी उक्त वादपत्र पेश कर रहा है। प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के पति/पिता धूड़ाराम पुत्र कानाराम जाति राईका निवासी अमरपुरा तहसील व जिला बीकानेर के नाम से राजस्व तहसील खाजूवाला का चक 3 केवाईडी ए का मु0नं0 217/52 का किला नं0 1 ता 5, 7 ता 13, 18 में 2.4911 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड, मु0नं0 217/59 के किला नं0 1 ता 9 में कुल 2.2761 हैक्टेयर कमाण्ड, मु0नं0 237/2 के किला नं0 21 में 0.2529 है0 कमाण्ड व मु0नं0 237/3 के किला नं0 1,10,11 में कुल 0.7587 है0 क0/अ0क0 इसप्रकार कुल 5.7788 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी तथा प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 के पति/पिता के नाम से एक ट्रैक्टर जिसका रजिस्ट्रेशन नं0 आर.जे. 07–आर.ए.–1986 था। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पति/पिता द्वारा अपनी उपरोक्त भूमि पर वादी के बैंक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर वर्तमान बैंक नाम स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खाजूवाला से के.सी.सी. ऋण व अपने उक्त ट्रैक्टर पर ऋण दिनांक 03.11.2006 को लिया था। प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के पति/पिता ने अपने वाहन ट्रैक्टर का ऋण चुकाकर उसका नो ड्यूज दिनांक 04.06.2013 को वादी के बैंक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर वर्तमान बैंक नाम स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया से प्राप्त कर लिया था।

उक्त नो ड्यूज वादी के बैंक ने दिनांक 19.08.2013 को वादी के बैंक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर वर्तमान बैंक नाम स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया से प्राप्त कर लिया था। उक्त नो ड्यूज वादी के बैंक ने दिनांक 19.08.2013 को जिला परिवहन अधिकारी, बीकानेर के नाम से एच.पी.एन. हटवाने के लिये दिया गया था। लेकिन प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के पति/पिता द्वारा अपनी उपरोक्त भूमि पर लिया गया के.सी.सी. ऋण बैंक को अदा नहीं किया गया था तथा आज दिनांक तक भी उक्त के.सी.सी ऋण बकाया है। प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के पति/पिता ने अपने वाहन ट्रैक्टर के नो ड्यूज के आधार पर प्रतिवादी सं0 6 के समक्ष दिनांक 16.12.2013 को प्रार्थनापत्र पेशकर अपनी भूमि को रहनमुक्त करवाकर दिनांक 22.12.2013 को उक्त भूमि का रहन मुक्त का नामान्तरण सं0 178 के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया जबकि प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के पति/पिता ने केवल मात्र अपने वाहन ट्रैक्टर का ऋण चुकाकर उसका ही नो ड्यूज प्राप्त किया था ना कि अपनी वाहन ट्रैक्टर का ऋण चुकाकर उसका ही नो ड्यूज प्राप्त किया था ना की अपनी उपरोक्त कृषि भूमि का के.सी.सी. ऋण चुकाकर। प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के पति/पिता की उपरोक्त भूमि का के.सी.सी. ऋण आजदिनांक तक भी बकाया है तथा उक्त भूमि आजदिनांक तक भी वादी के बैंक के पक्ष में रहन है। प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के पति/पिता व प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि का के.सी.सी. ऋण बैंक को नहीं चुकाया है। प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के पति/पिता धूडाराम का देहान्त हो गया। धूडाराम के देहान्त होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने अपने पति/पिता के नाम की उपरोक्त भूमि का विरासतन नामान्तरण दिनांक 20.07.2018 को इन्तकाल सं0 218 के द्वारा अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया। वादी के बैंक द्वारा प्रतिवादी सं0 1 ता 5 को उक्त भूमि पर लिये गए के.सी.सी. ऋण जमा करवाने के लिये कहा तो प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने वादी को बताया की हमारी भूमि पर कोई के.सी.सी. ऋण बाकी नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में भी हमारी उपरोक्त भूमि रहनमुक्त है। रहन का राजस्व रिकॉर्ड में कही भी अंकन नहीं है तथा उक्त भूमि अब हमारे नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अतः प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के नाम जरिये विरासतन प्राप्त भूमि तहसील खाजूवाला का चक 3 केवाईडी ए का मु0नं0 217/52 का किला नं0 1 ता 5, 7 ता 13, 18 में 2.4911 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड, मु0नं0 217/59 के किला नं0 1 ता 9 में कुल 2.2761 हैक्टेयर कमाण्ड, मु0नं0 237/2 के किला नं0 21 में 0.2529 है0 कमाण्ड व मु0नं0 237/3 के किला नं0 1,10,11 में कुल 0.7587 है0 क0/अ0क0 इसप्रकार कुल 5.7788 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि में सहवन से हटाया गया रहन मुक्त का अंकन की घोषणा कर दुरस्त कर वापिस उक्त भूमि को वादी के बैंक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खाजूवाला के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने आदेश फरमाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तामिल होने प्रतिवादी सं0 1 ता 5 अधिवक्ता श्री पुरुषोतम सारस्वत उपस्थित होकर प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया जिसका जवाब वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत होने पर सर्वप्रथम इस प्रार्थनापत्र पर सुना गया और दिनांक 17.11.22 आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सारहीन होने के कारण खारिज किया गया। तहसीलदार खाजूवाला से प्रकरण के संबंध में रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार चक 3 केवाईडी ए के मु0नं0 217/52, 59

मु0नं0 237/2,3 में कुल रकबा 5.7788 हैद्ध भूमि मूमलदेवी वगैरह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है, तो बिना रहनमुक्त प्रमाणपत्र के सहवन से रहनमुक्त नामान्तरण दर्ज हो गया। राजस्व रिकॉर्ड में किसीप्रकार का रहनमुक्त प्रमाणपत्र चस्पा नहीं है। जिसके कारण राजस्व रिकॉर्ड में पुनः एसबीबीजे खाजूवाला परिवर्तित नाम एसबीआई खाजूवाला के नाम दर्ज किया जाना उचित है। प्रतिवादी सं0 1 ता 5 की ओर अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार चक 3 केवाईडी ए का मु0नं0 217/52 का किला नं0 1 ता 5, 7 ता 13, 18 में 2.4911 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड, मु0नं0 217/59 के किला नं0 1 ता 9 में कुल 2.2761 हैक्टेयर कमाण्ड, मु0नं0 237/2 के किला नं0 21 में 0.2529 है0 कमाण्ड व मु0नं0 237/3 के किला नं0 1,10,11 में कुल 0.7587 है0 क0/अ0क0 इसप्रकार कुल 5.7788 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड विरासतन खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कागजात है। जिसपर आजदिनांक कोई रहन मुन्तकिल नहीं है अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण काबिज काश्त है। वादगत भूमि इन्तकाल सं0 138 रहननामा दिनांक 03.11.2006 की पालना में दिनांक 24.11.2006 के दर्ज हुआ तथा उक्त रहन प्रतिवादीगण के पिता धूड़ाराम पुत्र कानाराम के नाम से रहा तथा धूड़ाराम ने अपने जीवनकाल में बैंक का बकाया जमा करवा दिया तो बैंक ने दिनांक 09.09.2013 को नो ड्यूज दे दिया और उसकी पालना में इन्तकाल सं0 178 दिनांक 22.12.2013 में रहन मुक्त दर्ज कर दिया। इसप्रकार आदेश दिनांक 24.11.2006 इन्तकाल 138 के विरुद्ध इन्तकाल सं0 178 प्रभावी हुआ और तदपुरान्त पति/पिता धूड़ाराम के फौत पश्चात इन्तकाल सं0 218 दिनांक 20.07.2018 से विरासतन प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुआ और प्रतिवादीगण आजदिनांक खातेदार दर्ज कागजात है। वादी ने लम्बे अरसे बाद मियाद बाहर उक्त वादपत्र पेश किया है। कभी भी प्रतिवादीगण को बकाया वसूली के संबंध सूचना या नोटिस नहीं दिया और सीधे ही धारा 88 आरटीएक्ट एवं धारा 136 एलआरएक्ट का वाद पेशकर दिया गया जबकि प्रभावित इन्तकाल सं0 178 से थे तो कानूनन इन्तकाल सं0 178 की अपील माननीय जिला कलक्टर बीकानेर के पेश करनी थी। उक्त वादपत्र सारहीन विधिविरुद्ध होने के कारण खारिज योग्य है। दावा मियाद बाहर बिना वाद हैतुक पेश किया गया है तथा शाखा प्रबन्धक वाद लाने के लिये सक्षम नहीं है तथा बिना पूर्व सूचना व नोटिस दिये बिना अचानक से के.सी.सी. ऋण बाकी है का हवाला देकर उक्त वाद पेश किया है जो कतई सुसंगत नहीं है तथा वाद विधि से वर्जित है चूंकि आदेश दिनांक 2.12.2013 इन्तकाल सं0 178 अपने आप में एक आदेश है जिसे सहवन से हटाया गया नहीं मान सकते है और यदि कोई व्यक्ति या संस्था जिसआदेश से प्रभावित है उक्त आदेश के खिलाफ चाराजोही करे। यही काश्तकारी अधिनियम व लैण्ड रेवेन्यु अधिनियम का प्रावधान है। धारा 136 एलआरएक्ट का प्रकरण नहीं है। वादसारहीन होने के कारण खारिज होने योग्य है। वादी ने सरसरी दृष्टिकोण से अनुतोष चाहा है और अपने अनुतोष की अन्तिम तीन लाईनों में लिख कि ''सहवन से हटाया गया रहन मुक्त का अंकन कि घोषणा कर दुरुस्त कर वापिस उक्त भूमि को वादी के बैंक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खाजूवाला के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करें।'' इसप्रकार मूल अनुतोष क्या चाहा है स्पष्ट नहीं है और ना ही प्रभावित आदेशों को शून्य व निष्प्रभावी घोषित करने का आलेख किया है। ऐसी स्थिति में वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित नहीं है। वाद इसी आधार पर खारिज करने योग्य है।

अतः जवाबदावा स्वीकार कर वाद वादी सारहीन होने के कारण मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें। बहस सुनी गई। वादी ने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र स्वीकार करने का निवेदन किया एवं प्रतिवादी ने जवाबदावा के कथनों को दोहराते हुवे व प्रस्तुत नजीर का हवाला देकर वादपत्र खारिज करने का निवेदन किया।

अदालत द्वारा पत्रावली, उपलब्ध दस्तावेज व बहस पर अध्ययन, मनन किया गया। अदालत का निष्कर्ष है कि वादी का कथन की नो ड्यूज वाहन ट्रैक्टर बाबत् दिया था ना की के.सी.सी. ऋण के सबंध में यह तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट से भी साबित होता है एवं प्रतिवादीगण ने भी के.सी.सी. ऋण नो ड्यूज के संबंध में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं जिससे साबित होता हो कि के.सी.सी. ऋण भर दिया गया था किन्तु प्रतिवादीगण का कथन भी नियमों के दृष्टिकोण सही है कि धारा 88 आरटीएक्ट एवं धारा 136 एलआरएक्ट में वादी को अनुतोष नहीं दिया सकता है। अतः इस प्रकरण में धारा 88 आरटीएक्ट एवं धारा 136 एलआरएक्ट के प्रावधानों में अनुतोष प्रदान करना क्षेत्राधिकार के बिन्दू के लिहाज से उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः यदि तहसीलदार खाजूवाला के अनुसार उक्त प्रविष्टि सहवन से हुई है तो वह धारा 166 एलआरएक्ट में नियमानुसार दुरस्त कर सकते है अथवा वादी सक्षम न्यायालय में नियमानुसार अपील प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। अतः वादी को धारा 88 आरटीएक्ट एवं धारा 136 एलआरएक्ट के प्रावधानों के तहत पत्रावली में इस न्यायालय द्वारा अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है इसलिए वादी का वादपत्र क्षेत्राधिकार के बिन्दू पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)